रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 530] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 18, 1986/अग्रहायण 27, 1908
No. 530] NEW DELHI, THURSDAY, DEC. 18, 1986/AGRAHAYANA 27, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-मार्ग परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 1986

अधिसूचना

का.आ. 923(अ):—केन्द्र सरकार, गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (1) के दूसरे परन्तुक के साथ पठित गोदी मजदूर (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 5क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, परिवहन एवं गोदी मजदूर संघ के प्रतिनिधि श्री बी.एस. भोसले को गोवा गोदी श्रमिक संघ के प्रतिनिधि श्री रविन्द्र वी. गौडलकर, जिनका गोदी मजदूर के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व समाप्त हो गया है, के स्थान पर मुरगांव गोदी श्रमिक मंडल का सदस्य नियुक्त करती है और तत्कालीन परिवहन मंत्री (अंतर्-भूतल परिवहन विभाग) में दिनांक 7 नवम्बर, 1985 की भारत सरकार की अधिसूचना सं.का.आ. 815(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "गोदी मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों" शीर्ष के अधीन क्रम.सं. 1 से 3 का प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :—

| | |
|---|---|
| "1. श्री जो.ई. डायस | गोवा गोदी श्रमिक संघ के प्रतिनिधि |
| 2. श्री एस.आर. कुलकर्णी<br>3. श्री बी.एस. भोसले | परिवहन और गोदी मजदूर संघ के प्रतिनिधि" |

[फा.सं. एलडोर्ज/6/85 यूएस (एल)]
पी.एम. अब्राहम, अपर सचिव

## MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(Transport Wing)

New Delhi, 18th December, 1986

## NOTIFICATION

S.O. 923(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5A of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) read with the second proviso to sub-rule (1) of rule 4 of the Dock Workers (Regulation of Empolyment) Rules, 1962, the Central Government hereby appoints Shri B.S. Bhosle, representative of Transport and Dock Workers Union as member of the Mormugao Dock Labour Board vice Shri Ravindra V.Gaundalkar, representative of Goa Dock Labour Union, who has ceased to be a representative of the dock workers, and makes the following amendments in the

notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Transport (Department of Surface Transport) No. S.O.815(E), dated the 7th November, 1985 namely:—

In the said notification, under the heading "Members representing the Dock Workers", for the entries against SL. Nos. 1 to 3, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:—

| | | |
|---|---|---|
| "1. Shri Joe E. Dias | | Representative of Goa Dock Labour Union |
| 2. Shri S.R. Kulkarni<br>3. Shri B.S. Bhosle | } | Representatives of Transport and Dock Workers Union". |

[F.No. LDG/6/85-US(L)]
P.M. ABRAHAM, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986